

# अदानी कोल ब्लॉक को लेकर हंगामा

► विपक्ष ने की विधानसभा की कमेटी से जांच की मांग

► मांग नहीं मानने पर विपक्ष ने किया वाकआउट

प्रशासनिक संवाददाता  
भोपाल, 26 फरवरी. विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान जबर्दस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने सिंगरौली के धिरोली कोयला परियोजना जिसका टेंडर अदानी को मिला है, उस परियोजना में अनियमितता का मामला प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाया।

इस प्रश्न पर लंबी बहस हुई। विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान इस परियोजना में गड़बड़ी की जांच के लिए विधायकों की संयुक्त जांच कमेटी गठित करने की मांग की, लेकिन मंत्री ने इस तरह की कमेटी से जांच कराने का भरोसा नहीं दिया। इस कारण सदन में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी रही।

जिसके चलते प्रश्नकाल में सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करना पड़ा, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद भी विपक्ष ने इस मामले को लेकर कड़े तेवर दिखाए, लेकिन सरकार अपने रूख पर अडिग रही, बाद में विपक्ष ने सरकार के रवैये से नाराज होकर वाकआउट कर दिया। विपक्ष के हंगामों के कारण बजट सत्र में पहली बार प्रश्नकाल में केवल एक ही प्रश्न हो सका. प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सवाल किया कि धिरोली परियोजना के लिए कुल 2672 हेक्टर जमीन के अधिग्रहण के लिए सरकार द्वारा भूमि

प्रश्नकाल में केवल एक प्रश्न ही हो सका

विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित



अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 के तहत कितनी भूमि के लिए अधिचूचना जारी की गई.

► विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसंदी के पास पहुंचे

यह भी बताया कि निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए 504 करोड़ 37 लाख 26 हजार 331 रुपए की अवाई राशि पारित किया गया है. लेकिन बाद में संशोधित जवाब में उन्होंने अवाई की राशि 368 करोड़ 11 लाख 12 हजार 118 करोड़ रुपए कर दिया. इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया. नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि रातभर में ही ऐसा क्या हो गया कि अवाई की राशि को 150 करोड़ रुपए कम कर दिया गया. उन्होंने कहा कि आदिवासी किसानों को 50 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन उनको महज ढाई लाख रुपए ही दिए जा रहे हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को यहां भरपूर पैसे दिये जा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहाकि सरई थाने के थाना प्रभारी जितेन्द्र भदौरिया की पत्नी प्रियंका सिंह को 15 लाख 94 हजार 989 रुपए दिए गए हैं, जिससे कि वे अदानी को संरक्षण दे सकें. इसी तरह दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यातायात प्रभारी को अदानी के ट्रकों की आवाजाही कराने के लिए उनकी पत्नी स्वाति सिंह को 14 लाख 83 हजार 442 रुपए का अवाई पारित किया गया. ये भिंड के रहने वाले हैं, आदिवासी नहीं है. उन्होंने कहा कि बाकी 3 गांव के लोगों को भी बिना पुनर्वास के ही हटाया जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष का साथ विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी दिया. इस बीच राजस्व मंत्री ने मामले की जांच कराने का भरोसा भी दिया. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी व्यवस्था देते हुए कहा कि अभी 8 में से 5 गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई है, बाकी की अभी जरूरत नहीं है. प्रभावितों को समय पर मुआवजा मिल जाए, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. जो जमीन अधिग्रहित नहीं की गई, उनमें खनन हो रहा है, इसे लेकर जांच का भरोसा मंत्री ने दिया है. इस बीच विपक्षी सदस्य सीटों पर खड़े हो गए और नारेबाजी करते हुए आसंदी के सामने आ गए. नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा की जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच कराने की मांग की. उनका साथ हेमंत कटार ने भी दिया. उन्होंने जेपीसी की मांग की. इस बीच सदन में शोरगुल की स्थिति बन गई. जिसके चलते अध्यक्ष तोमर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी. सदन दोबारा समवेत होने पर भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, विपक्षी सदस्य एक बार फिर मांगों को लेकर आसंदी के सामने जाकर नारेबाजी करने लगे. विपक्ष के भंवर सिंह शंेखावत ने भी ज्वाइंट कमेटी से जांच कराने की मांग की. अध्यक्ष ने एक बार फिर विपक्षी सदस्यों को समझाईश दी, जिसका कोई असर नहीं हुआ, आखिरकार अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दूसरी बार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. शुन्यकाल में विपक्ष ने तीसरी बार ये मामला उठाया, लेकिन मंत्री वर्मा अपने रूख पर अड़े रहे. जब मंत्री ने मांग स्वीकार नहीं की तो फिर विपक्ष ने वाकआउट कर दिया.

## गिरफ्तारी क्या, हम पार्टी के लिए जान भी दे देंगे

ग्वालियर, 26 फरवरी. दिल्ली के एआई समिट में हुए शर्टलेस प्रदर्शन के बाद ग्वालियर में यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का

► वीरेंद्र गुर्जर बोले- हम हैं पक्के कांग्रेसी

मामला गरमाया हुआ है. दिल्ली पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए ग्वालियर के युवा कांग्रेस नेता राजा गुर्जर के पिता वीरेंद्र गुर्जर का कहना है कि पार्टी के लिए राजा की गिरफ्तारी क्या है, यदि उसकी जान भी चली जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं.

ग्वालियर के यूथ कांग्रेस नेता

राजा गुर्जर को दिल्ली पुलिस ग्वालियर पहुंचकर गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी. सरकार इन लोगों की हरकत को देश का सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाला बता रही है. वहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है. दिल्ली में हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद खुद राहुल गांधी ने भी भोपाल वरेंद्र के दौरान प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ‘बम्बर शेर’ बताते हुए उनका हौसला बढ़ाया था. अब राजा गुर्जर के पिता वीरेंद्र गुर्जर ने राजा गुर्जर को पार्टी का सिपाही कहा है. उन्होंने कहा कि हम पक्के कांग्रेसी हैं.

एमपी ट्रांसको परियोजनाओं का निरीक्षण

भोपाल. जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जायका) के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) की जायका-2 विल पोषित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जायका जापान का द्वि-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें इवैल्यूएटर सुश्री हिसाए ताकाहाशी एवं जायका के भारतीय प्रतिनिधि श्री कुनाल गुप्ता शामिल हैं, ने निमाण कायां, उनकी गुणवत्ता, उपयोगिता तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्रियाव्यवन की बारीकी से जांच-पड़ताल की। दल ने परियोजनाओं से जुड़े अन्य स्थलों का भी अवलोकन कर जानकारी हासिल की.

100 घंटे तक क्रिकेट खेलना इच्छाशक्ति का प्रतीक

भोपाल, 26 फरवरी.भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने दिव्यांगजन क्रिकेट महोत्सव नॉट आउटञ्चा 100 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और अटूट संकल्प का जीवंत उदाहरण है.



प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर से की सौजन्य भेंट

भोपाल . मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रशिक्षु डीएसपी अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की . अधिकारियों ने विधानसभा का अवलोकन कर इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की .

## दिव्यांगजन क्रिकेट महोत्सव का समापन

हेमंत खंडेलवाल ने इसे जीवटता का उदाहरण बताया



100 घंटे के निरंतर क्रिकेट महोत्सव ने खेल जगत में एक नया इतिहास रच दिया है। इस अनूठे आयोजन में दिव्यांग खिलाड़ियों ने जिस जज्बे, धैर्य और हिम्मत का प्रदर्शन किया,

वह अत्यंत प्रेरणादायक और सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 100 घंटे तक लगातार क्रिकेट खेलना केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि दुः इच्छाशक्ति और आत्मबल का प्रतीक है.

समापन समारोह को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भी संबोधित किया और सभी को शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने वाली फाल्गुनी का मंच पर बुलाकर सम्मानित किया. समारोह में लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल, व डॉ. राधेन्द्र शर्मा को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा।

विधानसभा 2008-09 से नामांकन में गिरावट के बाद भी 2015-16 से जांच होगी

## नामांकन में गिरावट पर नहीं हुआ अनुसंधान

प्रशासनिक संवाददाता  
भोपाल, 26 फरवरी. शासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में वर्ष 2015-16 से 2024-25 में नामांकन में गिरावट के लिए अटल बिहारी सुशासन संस्थान को अनुसंधान एवं अध्ययन के लिए कहा गया है. लेकिन इस मामले में10 माह से कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है.

यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित जवाब में दी. मंत्री ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अटल बिहारी संस्थान को जेंडर



वार, डॉ। आउट , एवं बर्थ रेट की कमी का वैज्ञानिक परीक्षण कर नामांकन में गिरावट का अनुसंधान तथा अध्ययन करने के

लिए 8 मई 2025 को पत्र दिया गया था. 9 सितंबर 2025 को स्मरण पत्र देने के बाद भी संस्थान द्वारा गिरावट के अध्ययन पर कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई. अटल बिहारी संस्थान को भेजी गई सूची अनुसार 2015-16 से 2024-25 में कक्षा 1 से 8 में 20.79 तथा 9 से 12 में 1.24 कुल मिलाकर 22.03 लाख नामांकन कम हुए, जबकि विधायक के मांगने पर दी गई सूची में कक्षा 9 से 12 में 2008-09 में 30.5 लाख , 2012-13 में 32.96 तथा 2025-26 में 21.8 लाख नामांकन थे.

इस अनुसार 2012-13 से 2025-26 में 11.16 लाख नामांकन कम हुए, जबकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अटल बिहारी संस्थान से कक्षा 9 से 12 में 1.24 लाख नामांकन कम होने के कारण पर अनुसंधान मांगा है. इस सवाल पर कि नामांकन में गिरावट 2008-09 से हो रही है, फिर 2015-16 से अनुसंधान एवं अध्ययन क्यों किया जा रहा है. उदय प्रताप सिंह ने जवाब दिया कि नामांकन में कमी के 2015-16 के अध्ययन प्रतिवेदन के बाद वर्ष 2008-09 से अध्ययन की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा. यहां यह तथ्य भी सामने आया कि कक्षा एक से आठ में वर्ष 2008-09 में नामांकन 119.58 लाख था, जो 2015-16 में 78.96 लाख हो गया. इस अवधि में नामांकन में 40.62 लाख की कमी हुई. इस गिरावट को अनुसंधान एवं अध्ययन में शामिल नहीं करना आश्चर्य की बात है. उतर में दी गई दोनों सूचियां में प्रतिवर्ष नामांकन संख्या में भी काफी अंतर है. संस्थान को दी गई सूची में 2015-16 में कक्षा 9 से 12 में 22.62 लाख तथा दूसरी सूची में यह संख्या 23.57 लाख बताए गई.

विशेष संवाददाता  
भोपाल, 26 फरवरी. प्रदेश कांग्रेस के राजीव गांधी सभागार में कांग्रेस विचार विभाग द्वारा आयोजित बौद्धिक विमर्श में वक्ताओं ने महात्मा गांधी के आदर्शों और उनकी समकालीन प्रासंगिकता पर विस्तार से विचार रखे.

कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियाँ भी सामने आईं. प्रख्यात पत्रकार पंकज चतुर्वेदी ने ‘गांधी के राम’ की व्याख्या करते हुए कहा कि गांधी का राम समावेशिता और सामाजिक न्याय का प्रतीक था.

उन्होंने कहा कि गांधी की अवधारणा में राम दलितों, वंचितों और आदिवासी समुदायों को अपनी शक्ति में पिरोने वाले थे, जो

सालभर में 1.27 करोड़ का मटन खा गए कूनों के चीते

श्योपुर. कूनों जंगल में मौजूद चीतों को पालना लगभग सफेद हाथी पालने जैसा साबित हो रहा है। इन चीतों के खाने पर रोजाना 35 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं और सालभर के अंदर ही ये चीते 1,27,10,8170 रुपए का बकरी मीट खा गए। इन चीतों के लिए वैसे तो शिकार हेतु चीतल भी छोड़े जाते हैं, लेकिन चीतों को बकरी का मीट ज्यादा पसंद होता है। इसका खुलासा कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब से हुआ। सरकार ने बताया कि कूनों वाइल्डलाइफ डिवीजन में अभी कुल 32 चीते हैं। सरकार ने इस दौरान यह भी बताया कि इन चीतों को कूनों जंगल से निकालकर ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना से लेकर राजस्थान तक भेजा जा रहा है.



समाज में पीछे छूट गए लोगों को उठाने वाले पतित पावन थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राम को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है और इस प्रक्रिया में राम की स्थापित मर्यादाओं को कमजोर

किया जा रहा है.चतुर्वेदी ने गांधी की सादगी की तुलना वर्तमान शासन शैली से करते हुए कहा कि गांधी ने वर्धों में मात्र 100 रुपये में सेवा कुटी बनाकर देश की सेवा की और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

## मध्यप्रदेश में बारिश थमी, तापमान बढ़ा

28 जिलों में पारा 30 डिग्री के पार

भोपाल, 26 फरवरी. मध्य प्रदेश में लगातार आंधी, बारिश और ओलों के बाद अब मौसम ने करवट ली है. बुधवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सहित 28 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया.

निमाड़ अंचल के खरगोन और खंडवा सबसे गर्म रहे, जहाँ पारा 34 डिग्री के पार चला गया. उज्जैन में 33.5 डिग्री दर्ज किया गया. अन्य जिलों में तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहा. फरवरी में प्रदेश का मौसम असाधारण रूप से चार बार बदला. महीने की शुरुआत में दो बार ओले और बारिश हुई,



जिससे गेहूँ और चने की फसल प्रभावित हुई. इसके बाद 18 फरवरी से वर्षा का दौर शुरू हुआ, जो 19, 20 और 21 फरवरी तक जारी रहा. 23-24 फरवरी को चौथी बार आंधी-बारिश और ओलों ने दस्तक दी. प्रभावित इलाकों में सरकार ने फसलों का सर्वे भी कराया. दिन के राश्व रात का तापमान भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है. कटनी जिले के करौंदी में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री, शहडोल के कल्याणपुर में 9.5 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं भोपाल में 13.8, इंदौर में 14.2, ग्वालियर में 14.8, उज्जैन में 16.5 और जबलपुर में 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा. नर्मदापुरम में रात का तापमान 18.2 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक है. मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च से नया वेस्टर्न डिस्टर्बंस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होगा।

ग्रीन इनर्जी पर गोलमेज बैठक आज

भोपाल. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला क्लाइमेट पॉलियामेंट मध्यप्रदेश नेटवर्क द्वारा सामुदायिक ग्रीन एनर्जी जोन (सीजीजेज) के क्रियान्वयन के लिये आयोजित गोलमेज बैठक में शामिल होंगे। बैठक शुक्रवार 27 फरवरी को सायं 7:00 से 9:00 बजे तक भोपाल में होगी। गोलमेज बैठक में विधायकगण, विभागीय अधिकारी, ऊर्जा विशेषज्ञ एवं नीति-निर्माता भाग लेंगे। बैठक में जांम्बिया की पीएम सीजीआई पहल पर वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा. राज्य एवं देश के जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और स्थानीय स्तर पर स्वच्छ एवं सतत ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामुदायिक ग्रीन एनर्जी जोन की अवधारणा विकसित की गई. सीजीजेज का उद्देश्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समुदाय-आधारित, विकेन्द्रीकृत एवं सतत ऊर्जा समाधानों को लागू करना है, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ, रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके.

आजाद को श्रद्धांजलि देंगे मोहन यादव

भोपाल, 26 फरवरी.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के 95वें शहादत दिवस पर आलीराजपुर के चन्द्रशेखर आजाद नगर ( भाबरा ) में शुक्रवार 27 फरवरी को आजाद स्मृति मंदिर पहुंचकर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

इसके बाद मण्डी प्रांगण, चन्द्रशेखर आजाद नगर में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करेंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्यप्रदेश के भाबरा में हुआ था।

उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अडिगता साहस और त्याग का परिचय दिया। दिनांक 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज (इलाहाबाद) के अल्फ्रेड पार्क में एक व्यक्ति द्वारा किये गये विश्वासघात के कारण पुलिस से घिर जाने पर उन्होंने वीरतापूर्वक मुकाबला किया और अंतिम क्षण

तक संघर्ष करते हुए अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार न होने का संकल्प को पूर्ण कर अपना बलिदान दे दिया।

उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, साहस और आत्मसम्मान का प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे।

वे 79.92 करोड़ रुपये लागत के 14 कार्यों का लोकार्पण तथा 119.02 करोड़ रुपये लागत के 35 कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे। क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी.

जनजातीय प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद- मुख्यमंत्री डॉ. यादव उदयगढ़ में आयोजित पारंपरिक भगोरिया उत्सव में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री उत्सव स्थल पर पहुंचकर जनजातीय के प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे।

उदयगढ़ का भगोरिया अपने रंग, उमंग और परंपराओं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

| एसएमएफजी इंडिया होम फाइनंस कं. लिमिटेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कॉर्पोरेट ऑफिस: 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लॉक, इन्फोप्रौ वीकेसी, वीकेसी मेन रोड ब्लां कुल्लू कॉम्प्लेक्स बॉम्बे (ई) मुंबई- 400051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| रजि. ऑफिस: कमरजोना आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पुरुर, चेन्नई-600116, चमिलनाडु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| डिमांड नोटिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (‘अधिनियम’) और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम, 2002 (‘नियम’)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएफएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उपरान्तनी(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस(ओं) में उल्लिखित वित्तीय चुकाने का आह्वान किया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उपरान्तनी(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तालिल से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तालिल विचकार और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस(ओं) की विषयवस्तु नीचे उद्धृत की गई है:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| क्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कूना खाता संख्या एवं नमूना उपकरण/रह-उपकरण(ओं) संबंधी धारक जैसा भी मामला हो                                                                                                                             | सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (बंका संपत्ति)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | डिमांड नोटिस तिथि 13/2 के तहत और कुल बकाया                                                                                                            |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1. तैः:619539211681648</b><br><b>1. मनीष बलवाना</b><br><b>2. पूजा बलवाना</b><br>पता: मकान संख्या 466, वाई संख्या 32 नवकार नगर, सतौषी माता मंदिर वाई, बागीचे के पास, खडवा, मध्य प्रदेश-455001        | प्लॉट संख्या 03 पैकी (मानचित्र के अनुसार प्लॉट संख्या 196), नवकार नगर कोलौनी, फेम-01, वाई संख्या 33 (लोकमनी तिलवल वाई), ग्राम कुम्भी, तहसील और जिला खडवा (मध्य प्रदेश), जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है, का उत्तरी भाग दक्षिणी भाग में से 12x50. संपत्ति की सीमाएँ- पूर्व- कोलौनी रोड, पश्चिम- कोलौनी सीमा दीवार, उत्तर- प्लॉट संख्या 196 का शेष भाग, दक्षिण-प्लॉट संख्या 196 पैकी का शेष भाग, | 16.01.2026<br>(रु. 27.66,357.34 (रु. साताइस लाख छियासठ हजार तीन सौ सातान और पैंसा बीतीस मात्र) दिनांक 09.01.2026<br>एनपीए दिनांक: 05.01.2026          |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1. तैः:604639511426001</b><br><b>1. शम्भूदीन पपावन</b><br><b>2. फरीद</b><br><b>3. शोभर मोहम्मद</b><br>पता: 90 लक्ष्मी नगर, हमराला रोड रतलाम, मध्य प्रदेश-457001                                     | सर्व संख्या 505/7 बाला वह भूखंड, जो हमराला रोड, रतलाम (मध्य प्रदेश) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- सड़क, पश्चिम में- गल्ली, उत्तर में- प्रकाश शर्मा का भूखंड, दक्षिण में- खुसुस खान का भूखंड.                                                                                                                                      | 16.01.2026<br>(रु. 27.90,278.32 (रु. साताइस लाख नव हजार दो सौ अठ्ठतर और पैंसा बीतीस मात्र) दिनांक 09.01.2026<br>एनपीए दिनांक: 05.01.2026              |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1. तैः:6046392111380686 और 604639511178009</b><br><b>1. नीलेश नायक</b><br><b>2. श्रीमती ममता</b><br><b>3. श्री कमल लबाना</b><br>पता: मकान संख्या 00, वाई और पिपली चौक, तेहरावती, जिला रतलाम- 457001 | वह भूमि और संपत्ति का टुकड़ा जो पीपल संख्या 17, सर्व संख्या 396/2, ग्राम उमर, तहसील रावती और जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.040 हेक्टेयर है. संपत्ति की सीमाएँ- पूर्व-निकास और सामान्य मार्ग, पश्चिम- 397 की भूमि, उत्तर-गणपत लबाना की भूमि, दक्षिण-लक्ष्मी बाई लबाना की भूमि से लगती है.                                                                            | 16.01.2026<br>(रु. 13.45,441.66 (रु. तेहर 14 लाख पैतालीस हजार चार सौ 397 की भूमि और पैंसा छियासठ मात्र) दिनांक 09.01.2026<br>एनपीए दिनांक: 05.01.2026 |
| उपरान्तनी(ओं) को मांग नोटिस का अनुपालन करने और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है और ऊपर उक्त प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बंड्स सहित भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक शुल्क, लागत और व्यय, उपरान्तनी ध्यान दें कि एसएमएफएफसी एक सुरक्षित लेनदार है और उपरान्तनी द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा सुरक्षित की गई अवत संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है उपरान्तनी द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति, ऐसी स्थिति में उपरान्तनी निर्धारित सीमा के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहते हैं समग्र के साथ, एसएमएफएफसी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हक्कर होगा. किसी के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है इसके तहत भुगतान प्राप्त करें. एसएमएफएफसी को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को संचालन करने और/या सील करने का भी अधिकार है किसी या हस्तांतरण का अधिकार. सुरक्षित परिसंपत्तियों की किसी के बाद, एसएमएफएफसी को अलग कानूनी फल करने का भी अधिकार है. यदि बंका संपत्तियों का मुख्य देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो शेष बकाया राशि की बसुली के लिए कार्यवाही एसएमएफएफसी के, यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत एसएमएफएफसी के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध संभव के साथ में उपरान्तनी की अन्य अधिनियम की धारा 13 (8) की और आकर्षित किया जाता है और आगे अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत, जिसके तहत उपरान्तनी को निपटान या लेन-देन से रोक/प्रतिबंधित किया जाता है, किसी भी सुरक्षित संपत्ति को किसी, पट्टे या अन्यथा (ब्यवसाय के सामान्य चतुष्टकम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करना एसएमएफएफसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति और उपरोक्त का अनुपालन न करना धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है उक्त अधिनियम के, डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उपरान्तनी, यदि चाहें तो, कर सकते हैं. इसे सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करें. |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| स्थान- खडवा, रतलाम, मध्यप्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| दिनांक- 16.1.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनंस कं. लिमिटेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | एसपी/-                                                                                                                                                |